न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	अपील सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	110/25	2025/178	10.03.2025	बबलू बनाम सरकार	17.11.2025	1 लगायत 2

1. बबलू पुत्र मौसरिया जाति बैरवा निवासी जाहरा तहसील बामनवास। –अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास । –रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–

अपीलार्थी की और से :– विद्वान अभिभाषक श्री इस्लाम खां।

रेस्पोडेन्ट की और से :– पेरोकार सरकार

अपील अर्न्तगत भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बामनवास द्वारा मिसल संख्या 198/2024 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम जाहरा के आराजी ख0नं0 1965 रकबा 0.19 है0 किस्म गैर चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध नायब तहसीलदार बामनवास को रिपोर्ट पेश की कि अपीलार्थी द्वारा भूमि हाल खं0नं0 1965 रकबा 0.19 है0 किस्म गै0मु0चरागाह पर अवैध अतिक्रमण कर सरसों की फसल काश्त की है। इस पर अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये तथा अपीलार्थी को पश्चातवृर्ति अतिक्रमी मानकर 90 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित कर दिया ,जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी को यह अपील निम्न आधारों पर पेश करनी आवश्यक हुयी है। यह है कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदार मिसलं है,जो खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलार्थी का पश्चात् वृति अतिक्रमण साबित ना होते हुए भी अपीलार्थी को पश[illegible]तिक्रमण मानकर अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने की का[illegible] अदालत [illegible] इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया कि पत्रावली में पश्चात् वृति अतिक्रमण का कोई [illegible]वली इस पत्रावली के साथ पेश नहीं की गई है तथा हल्का पटवारी की दैनिक डा[illegible] की कोई [illegible] न करने के बावजूद भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.11.19 18:14:15 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0सं0 110/2025 बबलू बनाम सरकार ।

अदालत मातहत ने अपीलार्थी द्वारा पेश किये गये जबाब पर कोई गौर नहीं कर अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने में कानूनी भूल की है, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपीलार्थी का शपथ पत्र इस आशय का कि अपीलार्थी भूमि खं0नं0 1965 रकबा 0.19 है0 गै0मु0चरागाह स्थित ग्राम जाहिरा से अपना कब्जा हटा लिया है। अब अपीलार्थी या अपीलार्थी का परिवार का कोई सदस्य उक्त भूमि पर कब्जा नहीं करेगे, साथ ही विद्वान अपीलार्थी ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिकमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है, साथ ही अपीलार्थी ने एक शपथ पत्र इस बाबत् प्रस्तुत किया अपीलार्थी भूमि खं0नं0 1965 रकबा 0.19 है0 गै0मु0चरागाह स्थित ग्राम जाहिरा से अपना कब्जा हटा लिया है। अब अपीलार्थी या अपीलार्थी का परिवार का कोई सदस्य उक्त भूमि पर कब्जा नहीं करेगे।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बामनवास को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि नायब तहसीलदार बामनवास आदिनांक से दिनांक 31.03.2026 तक प्रत्येक तीन माह में एवं संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक प्रत्येक माह में स्वयं कब्जा जांच करेगा। यदि अपीलान्ट कब्जा छोड़ दे तो निर्णय दिनांक 27.02.2024 खारिज कर सजा माफ कर दी जावेगी तथा यदि अपीलान्ट का कब्जा काश्त पाया जाता हैं तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.02.2024 यथावत रखा जावेगा। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलक्टर,
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.11.19 18:14:15
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी